REGULATIONS GOVERNING THE INDIRA GANDHI PARYAVARAN PURASKAR

(REVISED)

1. Preamble

This national prize on environment is named after the former Prime Minister of India late Shrimati Indira Gandhi and shall be known as ‘Indira Gandhi Paryavaran Puraskar’.

The prize will be given each year on any environment related occasion for significant contributions in the field of environment, which are recognized as having measurable impact on the protection/overall improvement of the environment.

2. Nature of the Prize

From the year 2009 onwards, two prizes of Rs. 5.00 lakh each along with silver lotus trophy under the organization category, and three prizes of Rs. 5.00 lakh, Rs. 3.00 lakh and Rs. 2.00 lakh respectively to individuals in individual category along with silver lotus trophy shall be given annually.

3. Eligibility

Any citizen of India or Indian organisation engaged in the Scientific Work/Field Work for the cause of protection of environment is eligible. There is no age limit for individuals. The term ‘Environment’ shall be interpreted in broadest sense possible. Following is an indicative but not exhaustive list of work areas concerned:

i. Prevention of Pollution.
ii. Conservation of Natural Resources.
iii. Rational use of Depletable Resources.
iv. Environmental Planning and Management.
v. Environmental Impact Assessment.
vi. Outstanding field work (innovative research work) for Enrichment of Environment e.g. afforestation, land reclamation, water treatment, air purification, etc.
vii. Environmental Education.
viii. Creating Awareness on Environmental Issues.

4. Procedure of submission of Nominations

Wide publicity shall be given to invite nominations for the Prize each year. The total period of inviting nominations shall be 45 days from the date of publication of the advertisement. Besides, publishing advertisement in the prominent newspapers for adequate publicity, a circular inviting nominations shall also be sent to all the Secretaries concerned in the Government of India, all the Chief Secretaries/Administrators of the States/Union Territories for wider circulation of the advertisement. The advertisement shall also be given on the website of the Ministry. Any citizen of India having at least 10 years' work experience in the field of environment (substantiated in support of his experience by published/field work)/ NGO working in the field of environment with at least five years experience/ Environment and Forests Department of States/UTs/ State Pollution Control Boards/ District Collector/ Magistrate; can propose a name of any citizen or organization of India who has at least five years working experience in the field of environment. Self nomination and nomination proposed by relatives will not be considered. The nominations may be accompanied by the following details:

i. Name and address of the Nominee.
ii. Area of work
iii. Significant contributions made by the Nominee.
iv. Measurable impact or likely impact of the Nominee's work in the field of environment.

The advertisement will be issued on 15th July every year. The last date for receipt of nominations shall be 29th August every year. The nominations signed by proposer should be sent in hard copy or through E-mail to the Adviser, EI- Division, Ministry of Environment and Forests, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003.

5. Selection of Expert Members of the Prize Committee

The Ministry of Environment and Forests will **biennially** prepare a panel of 9 Expert Members consisting of Legal Experts, Scientists, Industrialists, etc. No government official shall be included in the panel. The three Expert Members will be selected out of panel of nine with the approval of the Prime Minister of India. The tenure of the Expert Members will be 2 years. All the Prizes that will be proposed during the tenure of the Expert Members will be considered by them irrespective of the year.

6. Short listing of nominations and Ground truth verification

Short listing of the nominations, not more than 10% of the total number of nominations received, will be carried out by the 3 Expert Members selected by Prime Minister's Office within 30 days of despatch of brief of nominations to them. Ground-truth verification of the short listed nominations will be done by the Regional Offices concerned of the Ministry within 45 days of despatch of short listed nominations to them by visiting the sites of the work and interviewing the nominee and other related person(s) who are aware of the work done by the

nominee. Videography/Photography will be done for the work done by the nominee for obtaining credible evidence. The final verification, if required will be done by the Ministry. Further, the credential verification of the selected nominee(s) will be done by District authority, if required.

7. Environmental Prize Committee

On receipt of short listed nominations and duly verified by the Regional Offices of the Ministry, the Ministry of Environment and Forests shall circulate to Members of the Prize Committee such list of nominees along with detailed statement of work and attainment of each candidate/organization. The Committee shall have seven members as given below:

i. Vice-President of India (Chairman)
ii. Speaker of Lok Sabha
iii. Minister for Environment and Forests
iv. 3 Expert Members
v. Secretary of the Ministry of Environment and Forests will act as Member Secretary of the Prize Committee.

8. Criteria for selection

The Prize committee would, among other things, take into account the following criteria for contribution and merits of the nominee’s work in the area of environment.

i. Replicability

ii. Innovativeness/Creativity

iii. Target groups:
-Unreached (remote areas),
-Women,
-Rural population,
-Urban poor and
-Broader community

iv. Over and above call of duty

v. Tangible impact in relation to resources employed
(spread and intensity)

vi. Educative value

vii. Sustainability (financial, ecological and social)

However, the Prize Committee would make its independent assessment keeping in mind these criteria and any other relevant information* available with them.

The Prize Committee can also suggest/select any Individual or Organisation for which the nomination might, or might not have been received for the year(s) under consideration.

The prize may be withheld by the Government in any year, if in the opinion of the Committee, no meritorious nomination is received.

9. Presentation

Prize will be given at a formal ceremony to be arranged by the Ministry of Environment and Forests on any occasion related to environment each year, preferably on 5th June. At the ceremony, citation on the recipients of the Award will be read out. The recipients of the Award may deliver and address on the occasion highlighting the importance and relevance of their works.

* While submitting the briefs of nominations to the Expert Members for short listing the most deserving nominations, the Ministry will give information regarding the previous awardees and categorized (State-wise, zone-wise, gender-wise etc.) data on awards received, so that the non-represented States/ zones/ areas get proper representation. The experts will be requested to give proper emphasis on these aspects, besides the criteria of selection given under Item No.8, while short listing the nominations.

PROCESS CHART

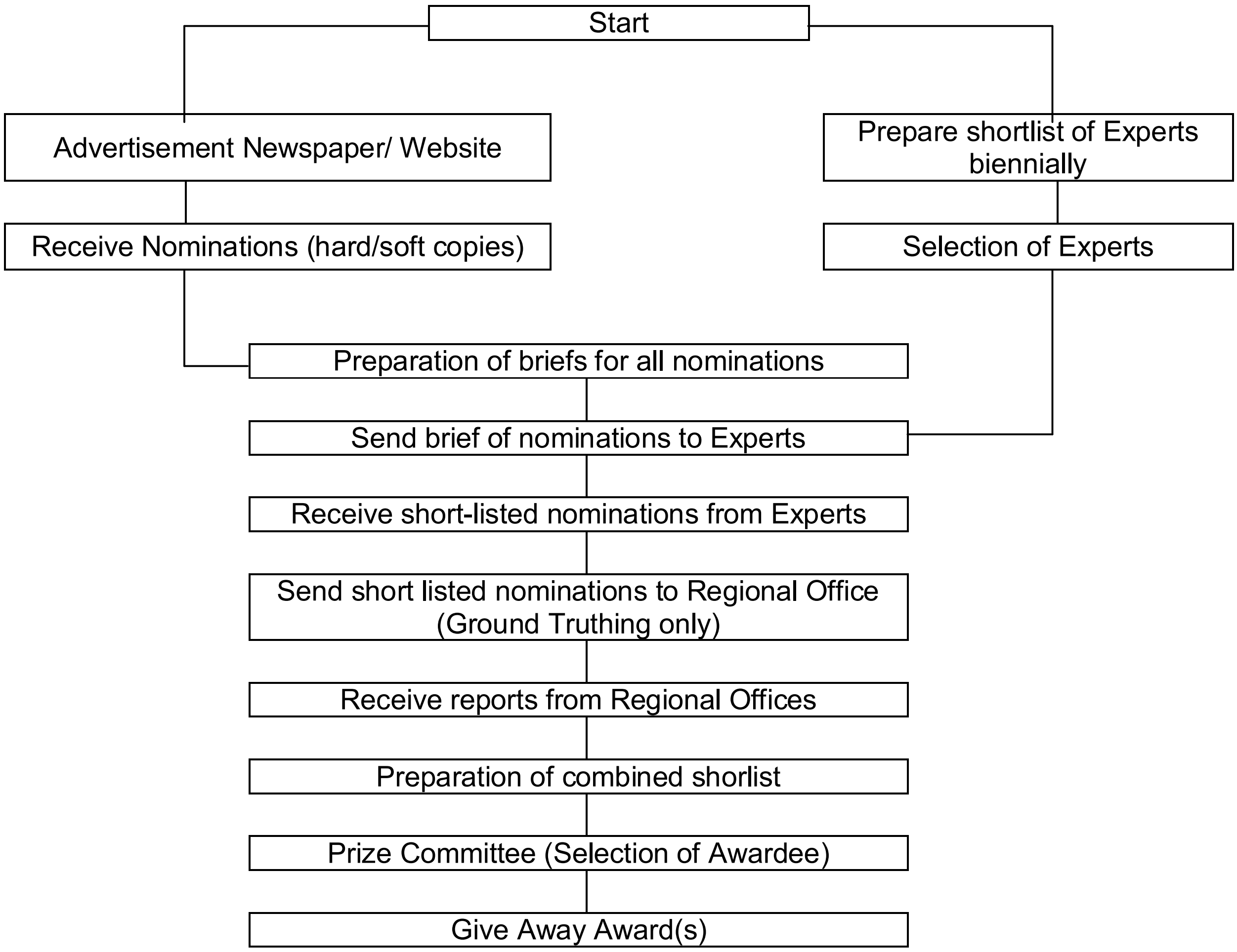

इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित विनियम (संशोधित)

1. प्रस्तावना

पर्यावरण संबंधी इस राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है और इसे ''इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार'' के नाम से जाना जाएगा ।

यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान, जिसका प्रभाव पर्यावरण की सुरक्षा/उसके समग्र सुधार के संबंध में पर्याप्त रूप से मान्य हो, के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यावरण से जुड़े किसी अवसर पर प्रदान किया जाएगा ।

2. पुरस्कार का स्वरूप

वर्ष 2009 तथा इसके आगे प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपए नकद प्रत्येक के साथ रजत कमल ट्राफी के दो पुरस्कार संगठनात्मक श्रेणी में तथा क्रमशः 5.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 लाख रुपए की नकद राशि के साथ रजत कमल ट्राफी हेतु तीन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाएंगे ।

3. पात्रता

भारत का कोई भी नागरिक अथवा संगठन, जो पर्यावरण की सुरक्षा के उ÷ेश्य से वैज्ञानिक कार्य/फील्ड में कार्यरत हो, इसका पात्र है । व्यक्तिगत पुरस्कार के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है । ''पर्यावरण'' शब्द की व्याख्या यथासंभव व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जाएगी ।

संबंधित कार्य क्षेत्रों की निम्नलिखित सूची दी गई है, जो केवल संकेतात्मक है, व्यापक नही :

(i) प्रदूषण की रोकथाम
(ii) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
(iii) क्षय होने वाले संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग
(iv) पर्यावरणीय आयोजना और प्रबन्धन
(v) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
(vi) पर्यावरण की समृद्धि के लिए उत्कृष्ट फील्ड कार्य (नए अनुसंधान कार्य) जैसे वनीकरण, भूमि सुधार, जल उपचार, वायु शुद्धिकरण आदि
(vii) पर्यावरणीय शिक्षा
(viii) पर्यावरणीय मामलों में जागरूकता पैदा करना

4. नामांकन भेजने का तरीका

पुरस्कार आमंत्रण हेतु प्रत्येक वर्ष विस्तृत प्रचार किया जाएगा । नामांकन प्राप्त करने की कुल अवधि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की होगी । पर्याप्त प्रचार के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के अतिरिक्त इस विज्ञापन के विस्तृत परिचालन के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित सचिवों, राज्यों/केन्द्र शासित

प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को एक परिपत्र भी भेजा जाएगा ताकि नामांकन मंगाए जा सकें । इस विज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाईट पर भी दिया जाएगा । भारत में किसी भी नागरिक जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त हो (अनुभव के प्रमाणस्वरूप प्रकाशित/फील्ड कार्य दिखाया जाए)/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण एवं वन विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला कलेक्टर/मैजिस्ट्रेट द्वारा भारत के ऐसे किसी भी नागरिक अथवा संगठन का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त हो । स्वतः भिजवाए गए अथवा संबंधियों द्वारा प्रस्तावित नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा । नामांकनों के साथ निम्नलिखित सूचनाएं भेजी जाएं :

(i) नामांकित व्यक्ति का नाम और पता
(ii) कार्य का क्षेत्र
(iii) नामांकित व्यक्ति द्वारा किया गया उल्लेखनीय योगदान
(iv) नामांकित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न प्रभाव अथवा संभावित प्रभाव

विज्ञापन प्रतिवर्ष 15 जुलाई को जारी किया जाएगा । नामांकन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख प्रतिवर्ष 29 अगस्त होगी । प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन लिखित रूप में अथवा ई-मेल के माध्यम से सलाहकार /संयुक्त सचिव, ई आई-प्रभाग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को भेजा जाना चाहिए ।

5. पुरस्कार समिति के विशेषज्ञ सदस्यों का चयन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्विवार्षिक रूप से 9 विशेषज्ञ सदस्यों का पैनल तैयार करेगा जिसमें विधि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योगपति आदि शामिल होंगे । पैनल में कोई सरकारी अधिकारी नहीं होगा । नौ के पैनल में से तीन विशेषज्ञ सदस्यों को प्रधानमंत्रीजी के अनुमोदन से चुना जाएगा । विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा । विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित सभी पुरस्कारों पर विचार किया जाएगा चाहे वे किसी भी वर्ष से संबंधित हों ।

6. नामांकनों का चयन और सत्यापन

प्राप्त नामांकनों की कुल संख्या के 10% से अनधिक नामांकनों की छंटाई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा चयनित 3 विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उनको नामांकनों का सार भेजे जाने के 30 दिनों के भीतर की जाएगी । छांटे गये नामांकनों के तथ्यों का सत्यापन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनको नामांकन भेजे जाने के 45 दिनों के भीतर कार्य स्थलों का दौरा करके और नामित व्यक्ति से तथा नामित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से अवगत किसी अन्य संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों से साक्षात्कार करके किया जाएगा । विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की विडियोग्रफी/फोटोग्राफी की जाएगी । यदि आवश्यक हुआ तो अंतिम सत्यापन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ तो चयनित नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रमाण पत्रों की जाँच जिला प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

7. पर्यावरणीय पुरस्कार समिति

चुने गए नामांकनों की प्राप्ति और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विधिवत सत्यपित होने पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार/संगठन के कार्यों तथा उपलब्धियों के विवरण के साथ नामांकित व्यक्तियों की सूची पुरस्कार समिति के सदस्यों को परिचालित की जाएगी । इस समिति में निम्नवत सात सदस्य होंगे :

(i) भारत के उप-राष्ट्रपति (अध्यक्ष)

(ii) लोकसभा अध्यक्ष

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्री

(iv) तीन विशेषज्ञ सदस्य

(v) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पुरस्कार समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

8. चयन का मानदण्ड

पुरस्कार समिति अन्य बातों के साथ-साथ नामिती द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों में योगदान के निम्नलिखत मानदण्डों और उसके गुणों को ध्यान में रखेगी ।

(i) प्रतिरूपात्मकता

(ii) नवीनता/सृजनशीलता

(iii) लक्ष्य समूह
- पहुंच से परे (दूरस्थ क्षेत्र)
- महिलाएं
- ग्रामीण जनसंख्या
- शहरी निर्धन और
- बड़े समुदाय

(iv) कर्त्तव्यों के अतिरिक्त

(v) लगाए गए संसाधानों के संबंध में भौतिक प्रभाव (विस्तार तथा तीव्रता)

(vi) शैक्षिक महत्व

(vii) सततता (वित्तीय, पारिस्थितिकीय और सामाजिक)

तथापि, पुरस्कार समिति इन मानदण्डों और उनके पास उपलब्ध किसी अन्य सम्बद्ध सूचना[†] को ध्यान में रखते हुए अपना स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी ।

[†] सर्वाधिक योग्य नामांकन छांटने के लिए विशेषज्ञ सदस्यों को नामांकनों का सार प्रस्तुत करते समय, मंत्रालय पूर्ववर्ती पुरस्कार विजेताओं से संबंधित सूचना और प्राप्त पुरस्कारों के श्रेणीवार (राज्यवार, क्षेत्रवार, स्त्री- पुरूष-वार इत्यादि),आंकड़े देगा ताकि जिन राज्यों/अंचलों / क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके । नामांकनों की छंटाई करते समय विशेषज्ञों से अनुरोध किया जाएगा कि वे मद संख्या 8 के अंतर्गत दिए गए चयन मानदंडों के साथ-साथ इन पहलुओं पर भी समुचित बल दें ।

पुरस्कार समिति किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन का चयन भी कर सकती है जिसका नामांकन विचाराधीन वर्ष के लिए न हुआ हो ।

अगर किसी साल में पुरस्कार समिति के विचार से कोई भी योग्य नामांकन प्राप्त नहीं होता है तो सरकार उस साल के पुरस्कार को स्थगित कर सकती है ।

9. पुरस्कार वितरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष पर्यावरण से संबंधित किसी अवसर, वरीयतः 5 जून, पर एक औपचारिक समारोह का आयोजन करेगा जिसमें पुरस्कार प्रदान किए जाएगा । समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की उपलब्धियों का प्रशस्ति-पत्र पढ़ा जाएगा । इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने कार्यों की महत्ता और प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए सम्बोधन कर सकते हैं ।

प्रक्रिया चार्ट

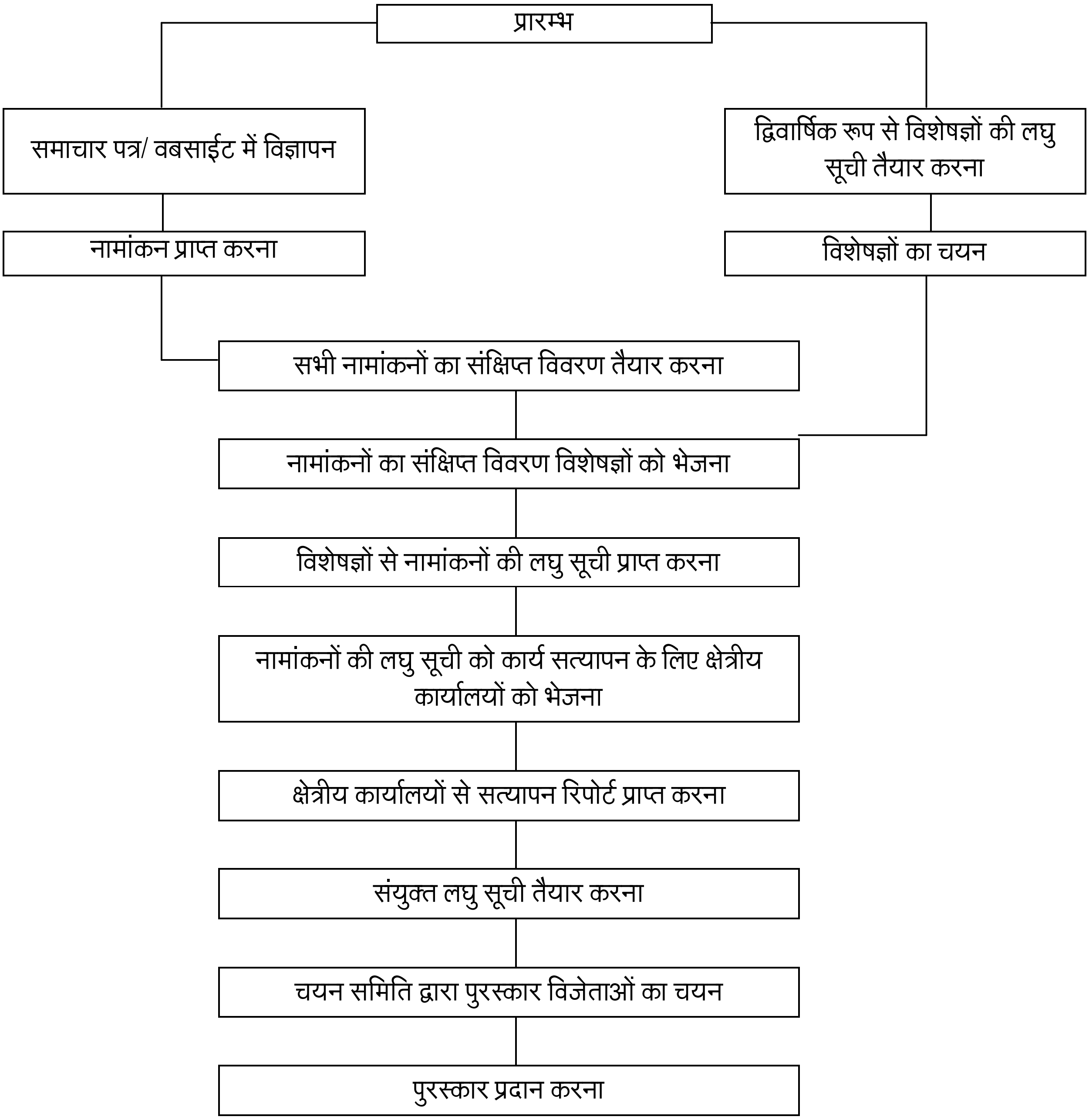
प्रारम्भ
समाचार पत्र/ वबसाईट में विज्ञापन
द्विवार्षिक रूप से विशेषज्ञों की लघु सूची तैयार करना
नामांकन प्राप्त करना
विशेषज्ञों का चयन
सभी नामांकनों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना
नामांकनों का संक्षिप्त विवरण विशेषज्ञों को भेजना
विशेषज्ञों से नामांकनों की लघु सूची प्राप्त करना
नामांकनों की लघु सूची को कार्य सत्यापन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना
क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करना
संयुक्त लघु सूची तैयार करना
चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन
पुरस्कार प्रदान करना